न्यायालय : श्री रेहान रज़ा, सब जज–7, भभुआ, कैमूर

<u>स्वत्व वाद संख्या : 1482/2022</u>

अयोध्या शर्मा एंव अन्य ....वादी।

बनाम

लल्लन शर्मा एवं अन्य ....प्रतिवादीगण।

<u>आदेश</u>

15.05.2025 वादी अनुपस्थित है। अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि वर्तमान में यह वाद वादी की उपस्थिति हेतु चल रहा है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद दि0–17.01.2022 को ग्रहण किया गया था और तभी से वाद वादी द्वारा अपेक्षिकाएं दाखिल करने हेतु लम्बित चला आ रहा है। लम्बे समय से वादी इस वाद में निरंतर अनुपस्थित चला आ हैं। प्रस्तुत वाद में वादी न तो स्वयं उपस्थित हो रहा है और न ही अनुपस्थित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु उचित कार्यवाही कर रहें हैं। उक्त संबंध में वादी को अंतिम अवसर दिया जा चुका है परन्तु उसके बाद भी वादी की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी के उक्त व्यवहार से प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद के संचालन में अब कोई रूचि नहीं है। अतः न्यायालय में उपस्थित होकर वाद की पैरवी न करने एवं न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण इस वाद को **खारिज** किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)
ह0

उत्त0 सब जज–7,
भभुआ, कैमूर।